P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-1* April- 2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarkina An Analisation*

गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों का प्रबंधन : भारतीय संदर्भ में

Management of Non-Performing Assets: In the Indian Context

Paper Submission: 06/04/2021, Date of Acceptance: 20/04/2021, Date of Publication: 21/04/2021

रामेश्वरी मीना
सहायक आचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग,
बाबा नारायणदास राजकीय कला महाविद्यालय,
चिमनपुरा, शाहपुरा,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

वर्तमान में भारत तथा सम्पूर्ण विश्व के सामने गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों (NPAs) का प्रबंधन प्रमुख चिंता का विषय है। बढ़ते NPAs की मात्रा बैंकिंग विकास में प्रमुख बाधा बनी हुई है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों को कम करने हेतु भारत सरकार तथा RBI द्वारा समय–समय पर अनेक उपाय तथा अधिनियमों का क्रियान्वयन किया गया है। अतः इस पेपर में NPAs को प्रबंधित व नियंत्रित करने तथा NPAs की रिकवरी हेतु अपनाये गये उपायों व अधिनियमों का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन के पश्चात् यह पाया गया है कि वर्तमान उपायों में सरफेसी अधिनियम सबसे अधिक प्रभावी है, किन्तु अभी भी NPAs की रिकवरी स्तर निम्न है। अतः और अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

Presently, the management of Non-Performing Assets (NPAs) is a major concern facing India and the whole world. Rising NPAs volume continues to be a major impediment to banking growth. In order to reduce the non-performing assets in the Indian banking system, many measures and acts have been implemented from time to time by the Government of India. Therefore, in this paper, the measures and acts adopted to manage and control NPAs and recovery of NPAs have been analyzed. After this study, it has been found that SARFAESI Act is the most effective of the current measures, but still the recovery level of the NPAs is low. Hence there is a need to adopt other measures.

मुख्य शब्द : सरफेसी अधिनियम, DRTs, लोक अदालत, RBI, प्रबंधन।
SARFAESI Act, DRTs, Lok Adalat, Management.

प्रस्तावना

भारतीय वाणिज्यिक बैंको के सामने वर्तमान परिदृश्य में सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या बढ़ती गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों (NPAs) की है। बैंकों में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की अत्यधिक मात्रा आर्थिक संकट का मुख्य परिणाम है जो कई एशियाई देशों में एक साथ घटित हुई थी। एक ही समय में कई एशियाई देशों में बैंकों की गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति के बढ़ने को संभावित बैंकिंग संकट के रूप में देखा जा सकता है जो भविष्य में इन देशों में पुनः उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के बैंकिंग संकट को रोकने के लिए बैंको के NPAs को प्रबंधित करने और प्रभावी ढंग से निपटाने की आवश्यकता होती है। इसलिए बैंको के पास गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों का प्रबंधन वर्तमान वित्तीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। एक बैंक के लिए सम्पत्ति ऐसे ऋण है जो यह व्यक्तियों और कम्पनियों को देता है तथा ब्याज के रूप में इससे नियमित आय प्राप्त करता है, जब ये परिसम्पत्तियां नियमित नकदी प्रवाह उत्पन्न करना बंद कर देती है (या गैर–निष्पादित हो जाती है), तो उन्हें NPAs के रूप में जाना जाता है। 31 मार्च, 2004 से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति (NPAs) को ऋण या अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया है।

1. ब्याज या मूलधन की किश्त सावधि ऋण के सम्बंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।
2. ओवरड्राफ्ट/ कैश क्रेडिट (OD/CC) के सम्बंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए खाता ऑर्डर से बाहर रहता है।
3.

4. खरीदे गए और पुर्नकटौती बिलों के मामलें में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बिल अतिदेय रहता है।
5. ब्याज और मूलधन की किस्तें दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है, लेकिन कृषि प्रयोजन के लिए दी गई अग्रिम की राशि के मामले में दो छमाही से अधिक नहीं।
6. भुगतान के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी राशि अन्य खातों के सम्बंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बनी हुई है।

साहित्य की समीक्षा

डेविड वू (2000) ने एशियाई वित्तीय संकट के दौरान अशोध्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की अभूतपूर्व वृद्धि के लिए मौजूदा परिसम्पत्ति प्रबंधन बुनियादी ढांचे की क्षमता का गम्भीर रूप से परीक्षण किया जिससे NPAs के प्रबंधन के लिए नए दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए नीति–निर्माताओं को अग्रणी बनाया जा सके। उन्होंने दो ऐसे दृष्टिकोणों–परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनियों का निर्माण और आउट–ऑफ कोर्ट केन्द्रीकृत कॉर्पोरेट ऋण रूपरेखाओं का विकास की जांच की है, जो संकट से सर्वाधिक प्रभावित देशों में मुख्य परिसम्पत्ति प्रबंधन सेटिंग को परिभाषित करते है।

गोयल कनिका (2010) ने इस अध्ययन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में NPAs की प्रवृत्ति तथा इसके प्रबंधन का विश्लेषण किया था। उन्होंने पाया कि अध्ययन अवधि के दौरान सकल NPA के साथ–साथ शुद्ध NPA में भी निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है और बैकों की परिसम्पत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी परिसम्पत्ति का कुशल प्रबंधन किया है, हालांकि कृषि क्षेत्र में NPA की वृद्धि चिंता का विषय है।

नमिता राजपूत तथा अन्य (2011) ने इस पेपर में भारतीय सार्वजनिक बैंको के परिप्रेक्ष्य में NPAs का प्रबंधन, कोर बैंकिंग सोल्यूशन (CBS) आधारित आधुनिकतम तकनीकी प्लेटाफॉर्म, रिकवरी प्रक्रिया और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों के सम्बंध में नियमनकारी फ्रेमवर्क का विश्लेषण किया था। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने RBI के दिशा–निर्देशों के अनुसार पूंजी–पर्याप्तता अनुपात (CAR) को प्राप्त कर लिया है तथा वर्तमान में यह निर्देशित सीमा से अधिक बना हुआ है। इन बैंकों द्वारा CBS तकनीकी का उपयोग NPAs के नियमन में महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

मयूर राव तथा अंकिता पटेल (2015) ने सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र के बैंकों की तुलना करने हेतु NPAs को प्रमुख संकेतक के रूप में लिया था। लेखकों ने निष्कर्ष दिया कि सभी क्षेत्र के बैंको में NPAs की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पायी गयी, लेकिन NPAs अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निजी क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र के बैंको की तुलना में अधिक गति से बढ़ रहा है।

अंकित गर्ग (2016) ने इस पेपर में NPA की अवधारणा, इसके कारणों, प्रभाव तथा इनके प्रबंधन हेतु अपनाये गये उपायों का विश्लेषण किया था। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि NPAs की समस्या, बैंकों की लाभदायकता तथा तरलता को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी साख क्षमता प्रभावित होती है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि वर्तमान में अपनाये जा रहे उपाय NPAs के प्रबंधन हेतु अपर्याप्त है, अतः और अधिक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

विवेक राजबहादुर सिंह (2016) ने इस पेपर में NPA, भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में NPA की स्थिति और प्रवृत्ति, NPA में योगदान करने वाले कारकों तथा विभिन्न चैनलों द्वारा NPAs की वसूली का विश्लेषण किया था। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि यद्यपि सरकार द्वारा NPAs को कम करने हेतु अनेक कदम उठाए है किन्तु अभी भी इस समस्या के समाधान हेतु अनेक प्रयास करने की आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा स्वयं बैंकों द्वारा NPAs के प्रबंधन हेतु उठाए गए कदमों व उपायों का विश्लेषण करना है।

प्रविधि

हमने अध्ययन के लिए सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंको का चयन किया है तथा विश्लेषण के लिए वर्ष 2010 से 2018 तक की अवधि ली है। आकड़ों का संग्रहण द्वित्तीयक श्रेणी के स्त्रोतों से किया है। अनेक प्रकार के आलेखों तथा शोधपत्रों को भी संदर्भित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न वर्षों की रिपोर्टस् का प्रयोग मुख्य रूप से डेटा संग्रहण के लिए किया गया है।

विश्लेषण एवं परिणाम

नरसिम्हम् समिति प्रथम द्वारा NPAs की अवधारणा प्रस्तुत करने के बाद भारत सरकार तथा RBI द्वारा NPAs के प्रबंधन एवं रिकवरी हु अनेक उपायों को अपनाया गया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार से है–

लोक अदालत

भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है। लोक अदालते बैंको के संदेहात्मक तथा हानि श्रेणियों के खातों सहित अनेक विवादों का समाधान करती है।

तालिका–1
अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा लोक अदालतों के माध्यम से रिकवरी
(मात्रा–करोड़ रू. में)

वर्ष	संदर्भित केसों की संख्या	सम्मिलित मात्रा	प्राप्त की गई मात्रा	प्राप्त की गई मात्रा का सम्मिलित मात्रा से प्रति. (%में)
2010	178833	7235	112	1.55
2011	616018	5254	151	2.87
2012	476073	1700	200	11.76
2013	840691	6600	400	6.06
2014	1636957	23200	1400	6.00
2015	2958313	30979	984	3.18
2016	4456634	72000	3200	4.40
2017	3555678	36100	2300	6.30
2018	3317897	45728	1811	4-00

Sources : RBI's report on trend and progress of Banking in India.

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि लोक अंदालतों को संदर्भित केसों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह भी स्पष्ट है कि सम्मिलित मात्रा की तुलना में इनके माध्यम से प्राप्त की गई मात्रा अत्यधिक कम है, क्योंकि प्राप्त की गई मात्रा का सम्मिलित मात्रा से प्रतिशत औसत रूप से 7 प्रतिशत से भी कम है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs)

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों (NPAs) की त्वरित रिकवरी के लिए DRTs की स्थापना की गई। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम (RDBBFI) 1993 को पारित करके इनकी स्थापना की गई थी। वर्ष 2018 में केन्द्र सरकार द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRTs) के पास ऋण वसूली के लिए बैंको और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा किये गये आवेदन हेतु वित्त की सीमा दस लाख रू. से बढ़ाकर बीस लाख रू. कर दी गई।

तालिका–2
SCBs द्वारा DRTs के माध्यम से NPAs की वसूली
(मात्रा–करोड़ रू. में)

वर्ष	संदर्भित केसों की संख्या	सम्मिलित मात्रा	रिकवर की गई मात्रा	रिकवर की गई मात्रा का सम्मिलित मात्रा से प्रतिशत (%में)
2010	6019	9797	3133	31.98
2011	12872	14092	3930	27.89
2012	13365	24100	4100	17.01
2013	13408	31000	4400	14.19
2014	28258	55300	5300	10.00
2015	18397	53203	3484	6.54
2016	24537	69300	6400	9.20
2017	32418	100800	10300	10.2
2018	29345	133095	7235	5.4

Sources : RBI's report on trend and progress of Banking in India.

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि का DRTs को संदर्भित केसों की संख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य कारण रिकवर की गई मात्रा है। DRTs में रिकवर की गई मात्रा का सम्मिलित मात्रा से प्रतिशत अनुपात भी लोक अदालतों की तुलना में उच्च है। वर्ष 2010 में तो यह अनुपात 31.98 प्रतिशत था, इसके पश्चात् इसमें कमी हुई है। जिसकी वजह सर्फेसी अधिनियम की सफलता या इनकी विफलता हो सकती है।

सरफेसी अधिनियम

विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बैंको/ वित्तीय संस्थानों की गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों (NPAs) की समस्या के समाधान हेतु वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act,2002) को लागू किया गया था। यह केवल सुरक्षित देनदारों को लेनदार द्वारा पुनर्भुगतान में चुक करने पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति (collateral Security) पर अधिकार प्राप्त करने में समक्ष बनाता है।

तालिका–3
SCBs द्वारा सरफेसी अधिनियम के माध्यम से NPAs की रिकवरी
(मात्रा–करोड़ रू. में)

वर्ष	संदर्भित केसों की संख्या	सम्मिलित मात्रा	रिकवर की गई मात्रा	रिकवर की गई मात्रा का सम्मिलित मात्रा से प्रति. (% में)
2010	78366	14249	4269	29.96
2011	118642	30604	11561	37.78
2012	140991	35300	10100	28.61
2013	190537	68100	18500	27.17
2014	194707	95300	25300	27.00
2015	166804	146306	23434	16.02
2016	173582	80100	13200	16.5
2017	199352	141400	25900	18.3
2018	91330	81879	26380	32.2

Sources: RBI's report on trend and progress of Banking in India.

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत संदर्भित केसों की संख्या में निरन्तर रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति पायी जाती है। यह भी स्पष्ट है कि सरफेसी अधिनियम के माध्यम से रिकवर की गई मात्रा का सम्मिलित मात्रा से प्रतिशत अनुपात अन्य रिकवरी उपायों जैसे–लोक अदालत, DRTs आदि की तुलना में अत्यधिक उच्च है। वर्ष 2018 में यह प्रतिशत अनुपात 32. 02 प्रतिशत पाया गया है।

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (IBC), 2016

इस संहिता में सभी व्यक्ति, कम्पनियाँ, सीमित दायित्त भागीदारी (LLP) और साझेदारी फर्मों को शामिल किया जाता है। कम्पनियों और LLP के लिए नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) तथा व्यक्तियों और साझेदारी फर्मो के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) न्यायर्णियन प्राधिकारी है। इस संहिता के अन्तर्गत ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 180 दिनों का समय निर्धारित है। मामला जटिल होने पर यह अवधि 90 दिनों तक बढ़ायी जा सकती है। यदि समय सीमा के भीतर किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा जाता है तो फर्म का परिसमापन कर दिया जाता है। वर्ष 2018 में IBC के तहत NCLT ने वाणिज्यिक बैंको के NPAs की रिकवरी के लिए 701 केस दाखिल किये है जिनमें सम्मिलित मात्रा 9900 करोड़ रू. थी, जिसमें से 4900 करोड़ रू. रिकवर किये गये, अर्थात् लगभग 50 प्रतिशत राशि रिकवर की गई, जो IBC की सफलता का द्योतक है।

इन उपायों के अलावा अन्य उपाय जैसे कॉर्पोरेट ऋण पुर्नगठन योजना, परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कम्पनी, 54A योजना आदि भी भारत सरकार तथा RBI द्वारा क्रियान्वित किये गए है।

NPAs के प्रबंधन हेतु सुझाव

1. RBI द्वारा वर्तमान साख मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए।
2. बैंकों द्वारा रिकवरी विधियों का कठोरता से पालन करना चाहिए।
3. RBI तथा भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन करना चाहिए। जो अन्य देशों में NPAs के प्रबंधन हेतु अपनाये गये उपायों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करे।
4. बैंको द्वारा NPAs की रिकवरी को देखने के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित करनी चाहिए।
5. बैंकों द्वारा समय–समय स्वयं ऋण इकाई का पर्यवेक्षण करना चाहिए।
6. बैंको द्वारा किसी भी फर्म व व्यक्ति को ऋण प्रदान करने से पूर्व उसके पूर्व के भुगतान रिकॉर्ड का गहन विश्लेषण करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत सरकार तथा RBI द्वारा अपनाये गये विभिन्न उपायों के विश्लेषण के पश्चात् यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अभी भी रिकवर की गई मात्रा का स्तर निम्न है साथ ही NPAs की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः भारत सरकार तथा RBI द्वारा और अन्य नये उपायों को अपनाने की आवश्यकता है तथा इनके द्वारा ऐसे उपाय अपनाये जाने चाहिए कि किसी परिसम्पत्ति को गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति बनने से ही रोका जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डेविड वू (2000), ''टू एप्रोचस् टू रिजोलविंग नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स ड्यूरिंग फाइनेन्सियल क्राइसेज'', इन्टरनेशलन मोनिटरी फण्ड (IMF) वर्किंग पेपर।*
2. *गोयल कनिका (2010), ''एम्पीरिकल स्टडी ऑफ नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट ऑफ इण्डियन पब्लिक सेक्टर बैक्स्'', एशिया पैसेफिक जर्नल ऑफ रिसर्च इन बिजनेस मैनेजमेंट, पेज–114–131*
3. *मयूर राव तथा पटेल (2015), ''ए स्टडी ऑन नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेन्ट विद् रेफरेन्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एण्ड फॉरेन बैक्स् इन इण्डिया'', जर्नल ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड साइन्स।*
4. *विभा जैन (2007), ''नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स इन कॉमर्शियल बैक्स्'' रिगल पब्लिकेशन्स, दिल्ली।*
5. *गर्ग अंकित (2016), ''ए स्टडी ऑन मैनेजमेन्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कॉन्टैक्सट ऑफ इण्डियन बैंकिंग सिस्टम,'' इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनीरिंग, टेक्नोलॉजिज एण्ड मैनेजमेन्ट रिसर्च।*
6. *नमिता राजपूत तथा अन्य (2011), ''नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स इन द इण्डियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स्– सन एनालिटिकल स्टडी,'' बैक्स् एण्ड बैंक सिस्टमस्।*
7. *विवेक राजबहादुर सिंह (2016), ''ए स्टडी ऑफ नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ कॉमिर्शियल बैंक्स् एण्ड इटस् रिकवरी इन इण्डिया'', एनुअल रिसर्च जर्नल ऑफ SCMS पूणे।*
8. *रिपोर्ट ऑफ ट्रेड एण्ड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिग इन इण्डिया, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (2010 से 2018)*
9. *रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एनुअल रिपोर्ट*
10. *मास्टर सर्कलूर ऑफ RBI*